(4)

संख्या-ई-८-२१५/दस-१९९८-६४८/१९९४

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८ लखनऊः दिनांक 9 मार्च ~~फरवरी~~, १९९८

विषयः शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन ।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-ई-८-१०३५/दस-१९९७-६४८/१९९४, दिनांक २५ जून, १९९७ जारी किया गया था और निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित की गयी थी । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनः पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी का चयन

(क) रू० १२५.०० लाख लागत तक के सभी भवन निर्माण कार्य (मानकीकृत भवन तथा गैर मानकीकृत भवन) किसी भी निर्माण एजेन्सी से विभागों द्वारा निक्षेप कार्य के रूप मे कराये जा सकेंगे ।

(ख) रू० १२५.०० लाख से अधिक एवं रू० ५००.०० लाख लागत तक के मानकीकृत भवन निर्माण कार्य किसी भी निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जा सकेंगे ।

(ग) रू० १२५.०० लाख से अधिक लागत के गैर मानकीकृत भवन निर्माण कार्य एवं रू० ५००.०० लाख से अधिक लागत के समस्त भवन निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निक्षेप कार्य के रूप में सम्पादित कराये जायेंगे ।

२- निर्माण कार्य की लागत का आशय स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत एक स्थान पर प्रस्तावित भवन निर्माण कार्यों की कुल लागत होगी जिसमें एक या एक से अधिक भवन इकाइयों का निर्माण सम्मिलित होगा ।

३- रू० १२५.०० लाख लागत तक सभी भवन निर्माण कार्यों के लिए ऐजेन्सी का चयन सम्बन्धित विभाग के ज़िला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा परन्तु रू० १२५.०० लाख से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण के लिए एजेन्सी का चयन सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय विभाग (शासन स्तर पर) द्वारा किया जायेगा ।

.....२